समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

10.2.2014

आवेदक **श्री राघव जी,** पिता–श्री परमानंद सिंह, सा0–आदर्श कॉलोनी, रोड नं0–01, (खेमनीचक), पो0–न्यु जगनपुरा, थाना–रामकृष्णानगर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–779/2009 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/ सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–286/गो0, दिनांक–07.02.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, रामकृष्णानगर के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा सभी श्रोतों से वार्षिक आय का कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है, जिसके आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित कर अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं करने की अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, रामकृष्णानगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा सभी श्रोतों से वार्षिक आय का कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदोपरान्त आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री राघव जी, पिता–श्री परमानंद सिंह, सा0–आदर्श कॉलोनी, रोड नं0–01, (खेमनीचक), पो0–न्यु जगनपुरा, थाना–रामकृष्णानगर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।